झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची।

प्रेस विज्ञप्ति

रांची दिनांक 8/9/2015, को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय समंव्य समिति की प्रथम बैठक के0 विधासागर, प्रधान सचिव,स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में तंबाकू पदार्थो से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के सख्ती से पालन हेतु आवश्यक कदम उठाने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

गौरतलब है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादो के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनो पर पूर्णतः रोक है। जिनमे आकर्षित करने वाली योजनाऐं, मुफ्त नमूनो का वितरण, तंबाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद को बेचना शामिल है साथ ही फिल्म या टेलिवीजन मे कोई व्यक्ति या कोई पात्र तंबाकू उत्पादो का उपयोग करते हुए प्रदर्शित नही किया जाऐगा।

प्रथम बार इस अधिनियम के उल्लंघन पर दो वर्ष तक कारावास एवं 1000 रू0 तक जुर्माना या दोनो हो सकता है। कोई इस अधिनियम के तहत दोषी सिद्व हो जाता है तो सरकार द्वारा सभी विज्ञापन सामग्री जब्त किया जा सकता है।

के0 विधासागर, प्रधान सचिव ने बैठक में कहा कि हमें तम्बाकू उत्पादो के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इसके लिए तंबाकू उत्पादो के प्रचार प्रसार की निगरानी करने की जरूरत है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कैंसर के प्रमुख कारक है, हमें लोगो को इससे दूर रखने तथा, उनको तंबाकू उत्पादो के दुषप्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्रीमती महुआ मांजी, अध्यक्षा राज्य महिला आयोग झारखण्ड ने कहा कि तंबाकू उत्पाद धिमी जहर के समान है जो धिरे धिरे इंसान के शरीर को खोखला कर देता है। हमे इसके प्रचार प्रसार पर हर हाल मे रोक लगाना है इसके लिए रणनीती बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक ,अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड रांची, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रांची, क्षेत्रिय अनुज्ञापन पदाधिकारी द0 छोटानागपुर प्रमण्डल, डॉ0 राजश्री वर्मा, अस्सिटेंट प्रोफेसर XISS, डॉ0 अर्चना सिन्हा, अस्सिटेंट प्रोफेसर, माडवाडी कॉलेज रांची, श्री दिपक कुमार मिश्रा, Executive-Director, (SEEDS) आदि ने भाग लिया।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग